महत्वपूर्ण सूचना/विज्ञप्ति

उप निरीक्षक नागरिक पुलिस रैंकर परीक्षा–2011 में मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश विशेष अपील याचिका सं0 25377/25378/14 कमर हसन व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में योजित रिट याचिका में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय के परिप्रेक्ष्य में चयन प्रक्रिया पूर्ण की जा चुकी है और उप निरीक्षक नागरिक पुलिस परीक्षा–2011 में अब कोई रिक्ति शेष नहीं है। इस सन्दर्भ में बोर्ड में विभिन्न असफल अभ्यर्थियों के द्वारा प्रार्थना पत्र प्राप्त हो रहे है। जिसमें उनके द्वारा यह तर्क दिया जा रहा है कि उनके अंक पूर्व में चयनित किये गये अभ्यर्थियों के अंक से अधिक है, अतः उनके अंक पूर्व में चयनित अभ्यर्थियों से अधिक होने के फलस्वरूप उनको भी रैंकर उप निरीक्षक के पद प्रोन्नति प्रदान कर दी जाय। असफल अभ्यर्थियों के द्वारा उपरोक्त सन्दर्भ दिये गये प्रार्थना पत्र विधिक रूप से उक्त निर्णय के क्रम में अग्राह्य, अमान्य एवं निराधार है।

उल्लेखनीय है कि इस प्रकरण में उप निरीक्षक (नागरिक पुलिस) के प्रोन्नति हेतु वर्ष–1999–2008 की रिक्तियों के सापेक्ष चयन की प्रक्रिया जिसमें वर्ष–2012 में 3240 चयनित किये गये थे। उसमें असफल अभ्यर्थियों द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय में एस0एल0पी0 6547/2014 योजित की गयी थी जिसमें मा0 उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार अनिल कुमार तथा अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में दिये गये निर्णय के अनुसार गलत प्रश्नों के अंक संबंधित अभ्यर्थियों को प्रदान करते हुये उनकी पी0एस0टी0, जी0डी0 एवं अभिलेखों का मूल्यांकन विभागीय चयन समिति द्वारा कराकर वर्ष–2008 तक के चयन वर्ष में 2033 अभ्यर्थियों का चयन किया गया। कमर हसन खान आदि ने एस0एल0पी0 6547/2014 के निर्णय के पश्चात् मा0 उच्चतम न्यायालय में एस0एल0पी0 25377–25378/2014 योजित की थी जिसमें से 40 वर्ष से अधिक आयु के अभ्यर्थियों को आयु के आधार पर असफल होने के बाद विभागीय प्रोन्नति कर नियुक्ति का आदेश मार्च–2015 में दिया गया। इनका चयन वर्ष–2008 के पदो के सापेक्ष किया गया था।

इस सन्दर्भ में यह उल्लेखनीय है कि एस0एल0पी0 25377–25378/2014 में कुछ असफल अभ्यर्थियों द्वारा एस0एल0पी0 25776–25779/2014 जगदीश कुमार व 911 अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य प्रार्थना पत्र (Interlocutory/Impleadment Applications) के साथ दायर की गयी जिसमें मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा कमर हसन की सुनवाई के दौरान इस याचिका के साथ सम्बद्व किया गया था। एस0एल0पी0 25377–25378/2014 की सुनवाई करते हुये एस0एल0पी0 25776–25779/2014 की भी सुनवाई की गयी थी जो कि जगदीश कुमार व 911 अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में वर्ष–2012 में घोषित परीक्षाफल में चयनित अभ्यर्थियों के साथ असफल अभ्यर्थियों ने पूर्ववर्ती चयन में चयनित अभ्यर्थियों से अधिक अंक होने के आधार पर चयन करने हेतु चुनौती दी थी, जो दिनांकः 10–08–2015 को मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निस्तारित कर दी गयी है। मा0 उच्चतम न्यायालय ने इस प्रकरण को दिनांकः 10–08–2015 को अन्तिम रूप से निस्तारित करते समय निर्णय के पृष्ठ–4 के पैरा–2 में यह आदेश पारित किया गया हैः–

"In view of our order passed in the interlocutory applications for directions, the special leave petitions stand disposed off. No order as to costs."

साथ ही साथ यह भी सुसंगत है कि इस प्रकरण को अन्तिम रूप निस्तारित करते हुये मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा यह भी आदेश पारित किया गया है:–

" It is hereby made clear that no court shall entertain any grievence relating to this particular selection. Our present order would not dislodge, if any candidate, who has already been selected or sent for training. Needless to emphasize, the present order has been passed regard being had to the special features of the case. "

असफल अभ्यर्थियों के द्वारा विभिन्न पत्रों के माध्यम से प्रेषित की जा रही प्रार्थना कि उनके अंक पूर्व में चयनित अभ्यर्थियों के अंक से अधिक है जिसके फलस्वरूप उनका चयन किया जाय, मा0 उच्चतम न्यायालय के निर्णय के विरूद्व है तथा पूर्णरूप से विधि के विरूद्व एवं पोषणीय नहीं है।

यह भी उल्लेखनीय है कि असफल अभ्यर्थियों के द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय के निर्णय के विरूद्व तथा पुलिस भर्ती बोर्ड के आधिकारिता/अधिकार क्षेत्र के बाहर प्रार्थना पत्र दिये जा रहे है जो कि विधिक रूप से स्वीकार करने योग्य नहीं है। असफल अभ्यर्थियों के द्वारा ऐसा करना बोर्ड के कार्य में अनावश्यक हस्तक्षेप करना है जिसके लिये विधि किसी भी प्रकार से उन्हें प्राधिकार नहीं देता है जिसके फलस्वरूप असफल अभ्यर्थियों द्वारा दिये जा रहे प्रार्थना पत्र विधिक रूप से पोषणीय नहीं है। आवेदकगणों के प्रार्थना पत्रों पर किसी भी सक्षम प्राधिकारी/मा0 न्यायालय के आदेश/निर्देश नहीं है जिन पर उन्हें विधिक रूप से विचार/परीक्षण कराने का अवसर/निर्देश सक्षम न्यायालय द्वारा दिया गया हो। चयन प्रकिया पूर्ण हो जाने तथा उसका परीक्षाफल मा0 उच्चतम न्यायालय के निर्देश के अनुसार घोषित किये जाने के उपरान्त बोर्ड का कार्य समाप्त हो जाता है। ऐसे सभी अभ्यर्थियों के प्रार्थना पत्र (Interlocutory/Impleadment Applications), जो कि विशेष अनुज्ञा याचिका सं0 25776–25779/2014 दायर की गयी थी व जो कि विशेष अनुज्ञा याचिका सं0 25377–25378/2014 कमर हसन बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य के साथ सम्बद्व थी, की सुनवाई भी की गयी थी और सुनवाई के उपरान्त ही मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णित हो चुकी ह। यह भी सुसंगत है कि बोर्ड में 230 (सूची संलग्नक–ए) उन असफल अभ्यर्थियों के प्रार्थना पत्र प्राप्त हुये है, जो मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांकः 10–08–2015 को निर्णित एस0एल0पी0 25778–25779/2014 में जगदीश कुमार व 911 अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पक्षकार है, अतः ऐसे अभ्यर्थियों को अब पुनः प्रार्थना पत्र देने का कोई औचित्य नहीं है क्योकि वे विधिक रूप से पोषणीय नहीं है व यह प्रकरण मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णित हो चुका है। इसी तर्क को लेकर ऐसे अन्य असफल अभ्यर्थीगण जो कि उस याचिका में पक्षकार

नहीं थे परन्तु वे इस बिन्दु पर अनुचित लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से प्रार्थना पत्र दे रहे है, जो कि किसी भी प्रकार से विधिक रूप से पोषणीय नहीं है व अमान्य है क्योंकि इस बिन्दु को उपरोक्त वर्णित रिट याचिका में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निस्तारित किया जा चुका है।

मा0 उच्चतम न्यायालय के द्वारा पारित उपरोक्त अन्तिम निर्णय तथा प्रकरण में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देश के उपरान्त रैंकर उप निरीक्षक नागरिक पुलिस प्रकिया समाप्त हो गयी है। उपरोक्त तथ्यों के आलोक में उनके प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं है और उन पर बोर्ड के स्तर पर कोई कार्यवाही अवशेष नहीं है। इस सूचना के माध्यम से इस चयन में सभी असफल अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे इस सम्बन्ध में कोई पत्राचार बोर्ड से न करें क्योंकि इस प्रकरण में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में निर्णय हो चुका है और चयन प्रकिया समाप्त हो चुकी है।
संलग्नकः यथोपरि ।

31/3/16

अनु सचिव (प्रोन्नति)
उ0प्र0पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड,
लखनऊ।